



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2582]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कार्तिक 21, 1935

No. 2582]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2013

का.आ. 3422(अ).—केन्द्रीय सरकार कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 41च की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत् :-

- (1) इन संशोधनों को कारखाना अधिनियम (दूसरी अनुसूची) संशोधन, 2013 कहा जाएगा।
- (2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
- दूसरी अनुसूची में क्रम संख्या 116(ख) की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत् :-

“(ख) एमार्फस सिलिकेट्स: 10 मि.ग्रा./मी³, कुल धूल

[एस्बेसटस (एच.सी.)

(क) एमोसाइट.....0.1 फाइबर/सीसी***

(ख) क्रायसोटाइल.....0.1 फाइबर/सीसी***

(ग) क्रोसीडोलाइट.....0.1 फाइबर/सीसी***]

(ग) पोर्टलैंड सीमेंट: 10 मि.ग्रा./मी³, कुल धूल जिसमें 1% से कम क्वार्टज हो।

(घ) कोयला धूल : 2 मि.ग्रा./मी³, श्वसनीय धूल क्षरण जिसमें 5% से कम क्वार्टज हो।

एमपीपीसीएम = वायु में प्रति क्यूबिक मीटर मिलियन पदार्थ, प्रकाश क्षेत्र तकनीकों द्वारा गणना किए गए इंपीन्जर प्रतिदर्शों के आधार पर।

- *** (i) 5 μ मी. की लंबाई से अधिक और 5 μ मी. की चौड़ाई से कम के फाइबरों के लिए लंबाई और चौड़ाई का औसत 3:1 के समान अथवा अधिक होगा।
- (ii) मेम्ब्रेन फिल्टर पद्धति द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार 400-450 × आवर्धन (4 मिमी की वस्तु) फेज कंट्रास्ट प्रदीपन।”

[फा. सं. एस-25016/01/2012-आईएसएच-II]

ए. सी. पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2013

S.O. 3422(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 41F of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the Central Government hereby make the following amendments to the Second Schedule in the said Act, namely :—

1. (1) These amendments shall be called the Factories Act (Second Schedule), Amendment, 2013.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- (2) In the Second Schedule for the entries at serial number 116 (b), the following shall be substituted, namely:-

“(b) Amorphous Silicates: 10 mg/m³, Total Dust
[Asbestos (H.C.
(a) Amosite0.1 fibre/cc***
(b) Chrysotile0.1 fibre/cc***
(c) Crocidolite0.1 fibre/cc***]

(c) Portland cement: 10 mg/m³, Total dust containing less than 1% quartz.

(d) Coal Dust : 2mg/m³, respirable dust fraction containing less than 5% quartz.

mppcm = Millions particles per cubic metre of air, based on impinger samples counted by light field techniques.

- *** (i) For fibres greater than 5 μ m in length and less than 5 μ m in breadth with length to breadth ratio equal to or greater than 3:1.
- (ii) As determined by the membrane filter method at 400-450 x magnification (4mm objective) phase contrast illumination.”

[F. No. S-25016/01/2012-ISH-II]

A. C. PANDEY, Jt. Secy.